बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

एसबीयू: ग्रीस एंड लुब्रीकेंट्स: सिलवासा

सर्वेक्षण संख्या: 201 / 1, सायली, सिलवासा-396230

टेलीफोन: सं.9099084731

E-mail: srivastava.sk@balmerlawrie.com;sengupta.s@balmerlawrie.com;

ई-निविदा

**निविदा पूछताछ सं.:जीएलएस/टीई20/050** **दिनांक: 12/01/2021**

**नियत तारीख: 02/02/2021 18 बजे तक (6 पीएम)**

**विषय: विभिन्न आकारों / मापों के तेल और ग्रीस कंटेनरों की पैकेजिंग के लिए करूगेटेड कार्डबोर्ड कार्टनों की आपूर्ति ।**

**1.0 प्रस्तावना**

बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड [इसमें इसके पश्चात बीएल संदर्भित किया गया है] एक बहु उत्पाद, बहु-इकाई और बहु तकनीकी का समूह है और जिसमें ग्रीस और लुब्रीकेंट का उत्पादन कंपनी के मुख्य व्यवसायों में से एक है । इस निविदा के अनुलग्नक I, II, III में उल्लिखित मात्राओं और विनिर्देशों के बिल के अनुसार छोटे कंटेनरों की पैकिंग करने के लिए करूगेटेड कार्डबोर्ड डिब्बों की आवश्यकता हेतु, बीएल [दो भाग] को वित्तीय क्षमताओं के साथ अच्छी तकनीकी बुनियादी सुविधाओं वाले एमएससी विक्रेताओं से ऑनलाइन बोलियाँ आमंत्रित करता है ।

**2.0 पात्रता:**

क) कोटेशन केवल एमएससी श्रेणी के तहत पंजीकृत विक्रेताओं से आमंत्रित किए जाते हैं ।

ख) एमएससी विक्रेता अनिवार्य रूप से इसकी पुष्टि करें कि वे निविदा के तहत एमएससी वेंडर माने जाने के लिए मंत्रालय के परिपत्र सं.एफ:सं.21 (17) / 2016 द्वारा यथाअपेक्षित सीपीपीपी वेबसाइट पर यूएएम संख्या को अपलोड कर दिया है । अर्हकारी और पजीकृत विक्रेताओं को ईएमडी भरने से छूट दी गयी है बशर्ते कि उन्हें पंजीकरण विवरण प्रस्तुत करना होगा । सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) संख्या को प्रस्तुत करना अनिवार्य है । एमएसई विक्रेताओं को प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश के लिए एक प्रमाण पत्र (एक कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित) प्रस्तुत करना अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित अंतिम पूरे वित्तीय वर्ष के अपने टर्नओवर का ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रस्तुत करना अपेक्षित है अथवा ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अनुपस्थिति में, पूर्ण अंतिम वित्तीय वर्ष के टर्नओवर को कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए ।

उपर्युक्त प्रावधान एमएसई द्वारा प्रदान की गई केवल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए हैं न कि उनके द्वारा की गई किसी भी व्यापारिक गतिविधियों के लिए। बोलीदाता द्वारा एक स्व-प्रमाणीकरण प्रदान किया जाएगा कि उनके द्वारा निविदित वस्तु की विनिर्माण एवं सेवाएं दी जाती है । बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड के पास उसे सत्यापित करने का अधिकार होगा ।

एमएससी हेतु पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त सभी ब्यौरों से सबंधित योग्य होना अनिवार्य है ।

बोलीकर्ता को एमएससी हेतु पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोलिसी के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी एमएससी स्थिति को भरने से पहले एमएससी की नई परिभाषा के संबंध में दिनांक, 1 जून से 2020 की सरकारी अधिसूचना को पढ़नी चाहिए ।

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**अधिसूचना**

**नई दिल्ली 01.06.2020**

का.आ. 1702(अ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उप धारा (9) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण भाग II खंड 3, उप ख्ंड (ii) में दिनांक 30 सितंबर, 2006 के सां का 1642 (ई) के तहत प्रकाशित भारत सरकार, सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की दिनांक 29 सितंबर 2006 की अधिसूचना के अधिक्रमण में तथा ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गये कार्य अथवा विलोपित किए जाने वाले कार्यो को छोडकर, केन्द्र सरकार एतद द्वारा सूक्ष्म लधु और मध्यम उद्योगों के लिए निमनलिखित मानदंडों को अधिसूचित करती है अर्थात:

i. सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में एक करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पॉच करोड़ रूपये से अधिक नहीं होता है
ii. लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में दस करोड रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पचास करोड़ रूपये से अधिक नहीं होता है

यह अधिसूचना 01.07.2020 से लागू होगी

**3.0 प्री क्वलीफिकेशन मानदंड**

क) विक्रेताओं को करूगेटेड डिब्बों की आपूर्ति के लिए न्यूनतम 3 साल का अनुभव होना चाहिए और प्रत्येक केलिन्डर वर्ष 2018, 2019 और 2020 में डिब्बों की आपूर्ति के लिए कम से कम एक क्रय आदेश की प्रतियॉ उपलब्ध करारी होगी ।

ख) विक्रेताओं के पास पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कम से कम 35 लाख का औसत वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए। बिडर को वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए "ऑडिटेड / सीए प्रमाणित बैलेंस शीट / पी एंड एल अकाउंट स्टैमेंट" प्रदान करना होगा।

ग) विक्रेताओं द्वारा अंतिम किसी भी दो वर्षों में कम से कम 20 लाख से अधिक एक समान आर्डर (कार्टून की आपूर्ति) का निष्पादन किया गया हो । (वह एक से अधिक वर्षों में किया जा सकता है)- उपर्युक्त के समर्थन में पीओ प्रतियां प्रदान की जानी हैं।

अथवा

विक्रेताओं को पिछले दो वर्षों में प्रत्येक 12 लाख से अधिक का कम से कम दो समान आदेश (डिब्बों की आपूर्ति) निष्पादन किया गया हो ।

उपर्युक्त के समर्थन में पीओ प्रतियां प्रदान की जानी हैं।

अथवा

विक्रेताओं को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक 10 लाख से अधिक का कम से कम दो समान आदेश (डिब्बों की आपूर्ति) निष्पादन किया गया हो ।

उपर्युक्त के समर्थन में पीओ प्रतियां प्रदान की जानी हैं।

घ) विक्रेताओं को चेकिंग और ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ के लिए टेस्टिंग इक्विपमेंट के साथ लैस होना चाहिए - विक्रेता को इसका स्वत: प्रमाणीकरण देना होगा । बीएल को आगे के दस्तावेज के लिए उसी थ्रू साइट निरीक्षण / कॉल को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित है।

ड) विक्रेता को प्रति माह 400 मैट्रिक टन की न्यूनतम उत्पादन क्षमता से लैस होना चाहिए- विक्रेता को इसका स्वत: प्रमाणीकरण देना होगा । बीएल को आगे के दस्तावेज के लिए उसी थ्रू साइट निरीक्षण / कॉल को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित है।

**4 संविदा अवधि और नियत मूल्य आधार पर आपूर्ति :**

एलओआई / पीओ के जारी होने की तारीख से आपूर्ति की अवधि 1 वर्ष (12 माह) होगी । संविदा की अवधि क्वांटिटी या अवधि, जो भी पहले हो, के पूरा होने पर समाप्त होगी । तथापि, संविदा को आपसी सहमति पर अगले एक वर्षों के लिए बढाई जा सकती है । पूरी संविदा अवधि के दौरान मूल्य नियत रहेंगे (चाहे संविदा अवधि बढ़ी हो या नहीं)। इसलिए, विक्रेताओं को विवेकपूर्ण तरीके से अपनी दरों को कोट करना चाहिए ।

**5.0 तकनीकी विशिष्टता और निविदा मात्रा**

विभिन्न तकनीकी आकारों के लिए विस्तृत तकनीकी विनिर्देश और अनुमानित क्वांटिटी संलग्न अनुलग्नक-I, अनुलग्नक-II और अनुलग्नक-III में दिए गए हैं। उसमें उल्लिखित मात्रा सांकेतिक है और वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकती है। कृपया ध्यान दें कि हम अनुबंध में दिए गए सभी मापदंडों को कड़ाई से जांचेंगे और विनिर्देशों को पूरा करने में किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप माल को अस्वीकृत किया जाएगा ।

**6: बोली सुरक्षा जमा की उदघोषणा :**

बोली लगाने वाले बोलीदाता के लेटर हेड पर बीड सिक्योरिटी की घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसे ईएमडी के बदले बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होना चाहिए ।
उक्त घोषणा में बोली लगाने वाले को यह घोषणा करना होगा कि बोलीदाता निविदा तिथि के बाद और बोली वैधता अवधि आदि के दौरान अपनी बोली को वापस नहीं लेंगे या संशोधित नहीं करेंगे । बोली लगाने वाले को यह भी घोषित करना होगा कि यदि वे घोषणा का पालन करने में विफल रहते हैं तो, वे निविदा में यथाविनिर्दिष्ट उनके खिलाफ की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं।
किसी भी बोलीदाता द्वारा नियत तिथि के बाद बोली लगाने या वापस लेने की स्थिति में दंड कार्रवाई:
यदि कोई भी बोलीदाता नियत तारीख के पश्चात और बोली वैधता आदि की अवधि के दौरान बोली वापस लेता है या संशोधित करता है तो, बोलीदाता को 15 महीने की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है । यदि बीएल, बोलीदाता से बोली में किसी भी संशोधन का अनुरोध करता है और बोलीदाता इसे स्वीकार करते हैं, तो उल्लिखित दंडात्मक कार्रवाई लागू नहीं होगी ।

**7.0 सुरक्षा जमा राशि**

एलओआई / संविदा की प्राप्ति पर, सफल बोलीकर्ता (डीडी / पे ऑर्डर / एनईएफटी / आरटीजीएस / बैंक गारंटी) द्वारा ऑर्डर डिपॉज़िट राशि आर्डर वैल्यू (मूल) के 2.5% के बराबर है सुरक्षा जमा राशि जमा की जाएगी जो कि कम से कम 50,000 होगी ।
बैंक गारंटी का प्रारूप संलग्न है सुरक्षा जमा राशि को संविदा की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा। निर्धारित समय के भीतर एसडी को प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में तो बोलीकर्ता को बिना किसी अगली सूचाना के निविदा के खंड 6.0 के अनुसार बीएल के पास आर्डर को रद्द करने और

अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा । सुरक्षा जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा और कंपनी की संतुष्टि पर अनुबंध पूरा होने के बाद सफल बोलीदाता को वापस कर दिया जाएगा ।

**8.0 वितरण समय:**

आपूर्ति की अधिकतम समय 10 कार्य दिवस होगी । लिक्विडेटेड डैमेज के लिए क्लॉज में व्याख्या के अनुसार डिलिवरीमें विलम्ब हेतु पेनल्टी / एलडी लगाई जाएगी ।

**9.00 कॉल-अप / डिलिवरीकी विशेष शर्तें :**

क) क्रय आदेश में उल्लिखित क्वांटिटी के लिए आवश्यकताओं को समय-समय पर लिखित कॉल अप के माध्यम से, आमतौर पर मेल द्वारा,सूचित किया जाएगा ।

ख) कॉल-अप मात्राएं आवश्यक रूप से कुल आदेशित मात्रा के प्रोरेटा आधार पर नहीं हो सकती है, लेकिन बीएल प्लांट की प्रत्याशित आवश्यकताओं पर आधारित होगी ।

ग) बीएल बाजार की मॉग में उतार-चढ़ाव को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कॉल-अप दे सकती है।

घ) आपूर्ति कॉल अप में दिए गए वितरण अनुसूची के अनुसार होनी चाहिए ।

ड) बीएल को बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित कुल मात्रा के भीतर अपने विवेकाधिकार पर किसी भी मात्रा का आदेश देने का अधिकार सुरक्षित है ।

**10.0 गुणवत्ता आश्वासन**

विक्रेता डिब्बों की गुणवत्ता आश्वासन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और इसे निविदा विनिर्देशों के साथ बिल्कुल मेल खाना चाहिए (या गुणवत्ता के मामले में अधिक) । प्रत्येक बैच के लिए परीक्षण रिपोर्ट प्रदान की जाएगी। बीएल तक पहुंचने वाली किसी भी दोषपूर्ण आपूर्ति को विक्रेता द्वारा सूचना के 3 दिनों के भीतर वापस ले लिया जाएगा और अस्वीकृति के 7 दिनों के भीतर अच्छी सामग्री द्वारा बदला जाएगा।

**11.0 आईएसओ प्रमाणीकरण**

विक्रेता को किसी भी सक्षम प्राधिकारी जो ऐसे प्रमाण पत्र (डीएनवी; ब्यूरो वेरिटास; इंटरटेक आदि) प्रदान करते हैं, से आईएसओ प्रमाणित होना चाहिए । प्रमाणिकरण आईएसओ मानकों 9001:2015 के लिए होना चाहिए और मौजूदा आईएसओ मानदंडों के अनुसार समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए ।

**12.0 मेक इन इंडिया पॉलिसी को वरीयता :**

**"क्लास I लोकल सप्लायर" को भारत सरकार के (क्रम सं। पी। 45021/2/2017 / पीपी (बीई- II) दिनांक 04.06.2020 DPIT का) मेक इन इंडिया ऑर्डर के लिए प्राथमिकता के अनुसार खरीद प्राथमिकता दी जाएगी । हालाँकि, यह प्राथमिकता केवल MSE बोली लगाने वालों के लिए लागू होगी जो पीक्यूसी को पूरा करते हैं और तकनीकी रूप से योग्य हैं ।**

उपर्युक्त MII आदेश के अनुसार, केवल "क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" और "क्लास II स्थानीय आपूर्तिकर्ता" इस निविदा में आवेदन / बोली लगाने के लिए पात्र हैं।

इसके बाद में उपर्युक्त संदर्भित ऑर्डर स्थानीय सामग्री, "क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" और "क्लास II स्थानीय आपूर्तिकर्ता" को परिभाषित करता है :

“स्थानीय मात्रा“ से अर्थ भारत में जोड़े गए मूल्य से है जो कि नोडल मंत्रालय द्वारा अन्यथा निर्धारित न किए जाने पर प्रापण की गई वस्तु में ( कुल घरेलू अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर ) आयातित मात्रा के मूल्य को प्रतिशत में कुल मूल्य के अनुपात के रूप मे घटाकर वस्तु के कुल मूल्य के बराबर होगा (सभी सीमा शुल्कों सहित)

**क्लास I लोकल सप्लायर-** का अर्थ आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता, जिसका सामान, सेवाएं या प्रोक्योरमेंट के लिए प्रस्तावित आर्डर, आर्डर के अन्तर्गत जैसा दर्शाया गया है, के पास समान लोकल कंटैन्ट या 50 प्रतिशत से अधिक है ।

**क्लास II लोकल सप्लायर** - का तात्पर्य आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता, जिसका सामान, सेवाएं या प्रोक्योरमेंट के लिए प्रस्तावित आर्डर, आर्डर के अन्तर्गत जैसा दर्शाया गया है, के पास लोकल कंटैन्ट 20 प्रतिशत से अधिक है लेकिन 50 प्रतिशत से कम ।

**उपर्युक्त दिशानिर्देशों को देखते हुए, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप वस्तुओं के लोकल कंटेंट की प्रतिशतता के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित स्वत: प्रमाणीकरण प्रपत्र में सूचना दें । गलत घोषणा के मामले में कार्रवाई को दर्शाते हुए, भारत सरकारके उपर्युक्त पैरा 9 एफ और जी की ओर भी आपका ध्यान लाया जाता है ।**

| क्र.सं. | वस्तुओं का ब्यौरा | आपके उत्पाद में स्थानीय वस्तुओं की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| | | |

स्थानीय सामग्री का सत्यापन

1. झूठी घोषणाएं सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 175 (1) (i) (एच) के तहत कोड ऑफ इंटीग्रिटी के उल्लंघन में होगी जिसके लिए बोलीदाता या उसके उत्तराधिकारियों को सामान्य वित्तीय नियमों के साथ ऐसी अन्य कार्रवाइयों, जैसा कानून के तहत स्वीकार्य हों, के नियम 151 (iii) के अनुसार दो साल तक के लिए रोक लगाया जा सकता है ।
2. आपूर्तिकर्ता जो इस आर्डर के उल्लंघन के लिए किसी खरीद इकाई द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो वह प्रतिबंधित की अवधि के लिए किसी अन्य खरीद इकाई द्वारा खरीद हेतु इस आर्डर के लिए वरीयता हेतु योग्य नहीं होगा । ऐसे अन्य खरीद इकाइयों के लिए प्रतिबंधन उस दिन से पूर्णरूप से प्रभावी होगा जिस दिन पर यह दूसरी प्रोक्योरमेंट इकाइयों के संज्ञान में आता है । नीचे दिए गए पैराग्राफ (एच) के तहत ।

## 13.0 <u>**इंटीग्रिटी पैक्ट : (आईपी)**</u>

अगले मूल्यांकन हेतु योग्य होने के लिए बोलियों के लिए इंटग्रिटी पैक्ट करार को प्रस्तुत करना अनिवार्य शर्त है । इंटीग्रिटी पैक्ट करार जिसमें (1) बामर लॉरी को बोलीकर्ता से कवरिंग लेटर (2) इंटग्रिटी करार शामिल हैं । इस निविदा में अगले मूल्यांकन हेतु पात्र होने के लिए बोलीकर्ता को कवरिंग लेटर के साथ इंटीग्रीटी करार दोनों हेतु पूरे इंटीग्रीटी पैक्ट करार पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा और इसे बोली के साथ ई पोर्टल पर भी अपलोड किया जाना अनिवार्य है । आईपी दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी होने पर विचार नहीं किया जाएगा । इस पैक्ट की शुरूआत तब होती है जब दोनों पार्टियाँ कानूनी रूप से हस्ताक्षर किए हों । संविदा के अन्तर्गत अंतिम भुगतान के पश्चात ठेकेदार के लिए यह 10 माह में समाप्त होगा और ठेका दिए जाने के पश्चात अन्य बोलीकर्ताओं के लिए 6 माह में समाप्त होगा ।

## <u>**14.0 बॉर्डर साझा करने वाले देशों से बोली लगाने वालों पर प्रतिबंध**</u>

सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के नियम 144 (11) के तहत प्रतिबंध

I. कोई भी देश जो भारत के साथ भूमि की सीमा साझा करता है, वह बोलीकर्ता इस निविदा में बोली लगाने के लिए पात्र होगा, बशर्तें कि उन्हें सक्षम प्राधीकारी के साथ पंजीकृत होना चाहिए ।

II. बोलीकर्ता का तात्पर्य किसी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, (कुछ संदर्भों में 'निविदाकार', 'सलाहकार' या 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) जिसमें संघ या संयुक्त उद्‌यम का कोई भी सदस्य (जो कई व्यक्तियों या फ़र्म या कंपनियाँ का एक एसोसिएशन है), खरीद प्रक्रिया में भाग लेने वाला ऐसे किसी व्यक्ति द्‌वारा किसी भी एजेंसी, शाखा या कार्यालय सहित प्रत्येक आर्टीफिसिएल न्यायिक वयक्ति जो इसमें इसके पहले बताए गये बोलीकर्ताओं के विवरण में न आते हों से है ।

III. किसी भी देश का बालीकर्ता जो इस उद्‌देश्य के लिए भारत के साथ जमीन साझा करता है इसका अर्थ

क. ऐसे देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत एक इकाई; या

ख. ऐसे देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत एक इकाई की सहायक कंपनी या

ग. ऐसे देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से एक इकाई काफी हद तक नियंत्रित होती है या

घ. एक इकाई जिसका लाभकारी मालिक ऐसे देश मे रहता हो या

ङ. ऐसी इकाई का एक भारतीय अभिकर्ता या

च. एक प्राकृतिक व्यक्ति जो इस देश का नागरिक हो या

छ. एक संघ या संयुक्त उद्‌यम जहां संघ या संयुक्त उद्‌यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है

IV. ऊपर (iii) के प्रयोजन के लिए लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा

1. किसी कंपनी या लिमिटेड देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी स्वामी प्राकृतिक व्यक्ति (ओं) हैं, जो अकेले या एक साथ, या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्तियों के माध्यम से काम करते हैं, जिसके पास स्वामित्व हित का नियंत्रण हो या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण का प्रयोग करते हैं ।

व्याख्या :-

क) नियंत्रण स्वामित्व हित का अर्थ मालिक या हकदार से है जिसके पास कंपनी की 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी या पूजी या लाभ हो ।

ख) "नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों सहित प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;

2. पार्टनरशिप फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक प्राकृतिक व्यक्ति है जो अकेले या साथ अथवा एक या अन्य न्यायिक व्यक्तियों के माध्यम से कार्य करता हो, जिसके पास पार्टनरशिप की पूजी या लाभ की 25 प्रतिशत से अधिक का मालिकाना हक हो ।

3. अनइनकार्पोरेटेड एसोसिएशन, या व्यक्तिगत निकाय के मामले में लाभकारी मालिक प्राकृतिक व्यक्ति है जो अकेले या साथ में या एक या अनेक न्यायिक व्यक्तियों के माध्यम से कार्य कर रहा हो, के पास ऐसे एसोसिएशन या व्यक्तिगत निकाय के लाभ या पूंजी या संपत्ति का 15 प्रतिशत से अधिक का मालिकाना हक हो ।

4.0 उपर्युक्त (1) (2) या (3) के तहत जहॉ प्राकृतिक व्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है वहॉ लाभकारी मालिक प्रासंगिक मालिक है, जो वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी का पद धारण करता हो

5.0 एक ट्रस्ट के मामले में, लाभकारी मालिक (ओं) की पहचान में ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी, लाभार्थी के साथ पंद्रह प्रतिशत या नियंत्रण या स्वामित्व की एक श्रृंखला के माध्यम से अधिक रूचि और किसी भी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति में ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण की पहचान शामिल होगी ।

V एक एजेंट दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने के लिए या तीसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार में दूसरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित व्यक्ति है ।

vi सफलबोलीकर्ता, देश से जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है, को किसी भी ठेकेदार को कार्य की उप ठेकेदारी देने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत न हों ।

**14.1 प्रमाणपत्र**

निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी बोलीकर्ता के लेटरहेड में उपरोक्त के अनुपालन के संबंध में एक प्रमाण पत्र । यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र जिसकी बोली स्वीकार की जाती है और वह गलत पाया जाता है, तो यह तत्काल समाप्ति और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए एक आधार होगा ।

हमने देश के बोलीकर्ता जो भारत के साथ भूमि साझा करते हैं के बोलीकर्ता से खरीद पर प्रतिबंधों से संबंधित खंड को पढ़ लिया है; हम प्रमाणित करते है कि ...................... (फर्म / बोलीकर्ता का नाम) ऐसे देश से नहीं हैं अथवा यदि ऐसे देश से हैं भी तो वे सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पंजीकृत हैं । हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि .................... (फर्म / बोलीकर्ता का नाम) इसके संबंध में सारी माँगों को पूरा करते हैं और ये विचार करने के पात्र हैं ।

जहाँ भी लागू हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध पंजीकरण का साक्ष्य संलग्न किया जाएगा ।

**15. परिसमापन हर्जाना**

कॉल अप के अनुसार आपूर्ति देने में विफलता के मामले में, विक्रेता को प्रति सप्ताह अनुबंध मूल्य के 0.5% की दर से परिसमापन हर्जाना का भुगतान करना होगा (या उसके भाग) जो विलम्बित सामग्रियों की संविदा मूल्य की अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन होगी ।

**16. जोखिम खरीद क्लॉज**

यदि कोई भी विक्रेता वितरण अनुसूची के अनुसार डिब्बों की आपूर्ति करने में विफल रहता है, तो बीएल के पास असफल विक्रेता के जोखिम पर किसी भी अन्य वैकल्पिक स्रोत से खरीदे जाने का अधिकार सुरक्षित है और उससे अंतर लागत वसूल की जाएगी।

**17. कर और शुल्क**

जीएसटी सहित सभी लागू वैधानिक शुल्क लागू होंगे।

**18. वैधता**

**निविदा की नियत तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिए प्रस्ताव स्वीकृति के लिए मान्य रहेगा।**

**19. भुगतान शर्त**

भुगतान जीएसटी / करों के साथ वैध बिलों की आपूर्ति / स्वीकृति और लागू होने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

**20. आर्टवर्क विकास और मुद्रण**

क) सभी कार्टून एक रंग से प्रिंट किए जाएंगे केवल ग्रेड्स जो अनुलग्नक- III के अंतर्गत आते हैं और अनुलग्नक II में आने वाले सफेद डिब्बों को छोड़कर जो बामर लॉरी द्वारा प्रदान की गई आर्टवर्क के अनुसार तीन रंगों में मुद्रित किए जाएंगे ।

डिब्बों पर छपाई साफ-सुथरी, सुपाठ्य और एक समान होनी चाहिए और अनुमोदित आर्टवर्क के अनुसार कड़ाई से होनी चाहिए। मुद्रण स्याही अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए ताकि मुद्रण पदार्थ भरने / पैकिंग / बाद की हैंडलिंग की प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह अप्रभावित रहे।

ख) आर्टवर्क बीएल द्वारा सीडी / ईमेल / प्रिंटआउट आदि के द्वारा प्रदान किया जाएगा । आर्टवर्क सहित डिब्बों के नमूनों को बीएल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

ग)  आर्टवर्क के निर्माण के लिए सभी लागतें सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन की जाएगी । इसलिए, उद्धृत दरों को आर्टवर्क निर्माण लागतों को ध्यान में रखना चाहिए।

हालांकि, कार्टन के प्रत्येक आकार के लिए यदि आर्टवर्क की संख्या 3 से अधिक होती है तो, अगले चौथे आर्टवर्क के लिए आर्टवर्क का प्रभार बामर लॉरी द्वारा वहन किया जाएगा ।

हालाँकि, प्रत्येक आकार के कार्टन के लिए, यदि आर्टवर्क की संख्या 3 से अधिक है, तो चौथी आर्टवर्क के आगे के लिए 'आर्ट वर्क चार्ज' बीएल द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाएगा ।  इसलिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपनी प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से मूल्य बोली में अलग से प्रति आर्टवर्क के लिए अपनी दर को कोट करें । यह दर अनुबंध की अवधि के दौरान निश्चित और तय है ।

**<u>21.0 नमूने का अनुमोदन</u>**

अनुमोदित मास्टर कार्टन / आर्टवर्क के आधार पर, सफल बोलीकर्ता नियमित विनिर्माण करें । नमूनों को मंजूरी मिलने में सफल बोलीकर्ताओं द्वारा देरी के मामले में, बीएल ऑर्डर की मात्रा को कम करने या उन्हें पहले से दी गई पूरे ऑर्डर मात्रा को रद्द का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

**<u>22. चयन का आधार</u>**

उन बोलीदाताओं की मूल्य बोलियाँ खोली जाएंगी जो पात्रता मानदंड (PQC) को पूरा करेंगे, जैसा कि पृष्ठ 1 पर खंड 3.0 में निर्दिष्ट है। ऑन-लाइन बंद बोलियों का उपयोग बोलीदाताओं की ग्रेडिंग के लिए किया जाएगा। 3 श्रेणियों के लिए बोलियाँ स्वीकार की जाएंगी:

क) अनुलग्नक i ख) अनुलग्नक ii ग) अनुलग्नक iii घ) अनुलग्नक iv
बोलीकर्ता किसी एक या अधिक श्रेणियों के लिए कोट कर सकता है (उपर्युक्त चारों श्रेणियों के लिए कोई आवश्यक है)

हालाँकि, जिसके लिए वे बोली लगा रहे हैं उसके लिए उन्हें उस श्रेणी के प्रत्येक पैक-आकार के लिए दरों को कोट करना होगा ऐसा न करने पर मूल्यांकन के लिए उनकी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा ।

उपरोक्त 4 श्रेणियों में से प्रत्येक के प्रति ऑन-लाइन बंद बोलियों में सबसे कम उद्धृत बोली लगाने वाले को "L1" के रूप में नामित किया जाएगा और इसके बाद के संस्करण में से प्रत्येक के कुल मूल्य के आधार पर "L2" के रूप में और ग्रेडिंग प्रणाली में अगले निम्नतम बोली लगाने वाले को बोलीकर्ता के रूप में नामित किया जाएगा।

बोलीदाताओं को इस प्रक्रिया के दौरान कोई दावा करने / उदघोषण करने या विवाद करने का कोई अधिकार नहीं होगा । प्रत्येक श्रेणी में सबसे कम उद्धृत मूल्य के प्रति निविदा आवंटित की जाएगी, बशर्ते तकनीकी विनिर्देश सफलतापूर्वक मिलता है ।

**<u>23. विनियमों के साथ अनुपालन</u>**

उत्पादन, बिक्री, आपूर्ति / प्रेषण जैसा कि समय-समय पर लागू होता हो, के संबंध में सभी कानूनी / वैधानिक अनुपालनों का पालन अनिवार्य है। विक्रेता ऐसे दस्तावेज जैसा अपेक्षित हो, को निष्पादित और वितरित करेंगे।

बीएल और उनके अधिकृत प्रतिनिधि इस करार / संविदा में आने वाले विनिर्माण / सामान की आपूर्ति / या सेवाओं में किसी भी वैधानिक नियमों के किसी भी अनियमितता, उल्लंघन या उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

**24. अनुबंध की समाप्ति**

बीएल बामल लॉरी के अधिकार या उपलब्ध उपाय के पूर्वाग्रह के बिना, बीएल के अनुबंध के किसी भी हिस्से को बोलीदाता को एक लिखित नोटिस द्वारा समाप्त कर सकता है यदि:

क) बोलीदाता अनुबंध की किसी भी सामग्री / सेवा अवधि का पालन करने में विफल रहता है।

ख) बोलीदाता बामर लॉरी को सूचित करता है कि वह निर्धारित डिलिवरी / अनुबंध अवधि के भीतर सामग्री / सेवा या इसके किसी हिस्से की डिलिवरी करने में अपनी असक्षमता बताता हो या ऐसी असक्षमता अन्यथा स्पष्ट होती है ।

ग) बोलीकर्ता डिलिवरी / अनुबंध की अवधि के भीतर वस्तु / सेवा देने या किसी भी अस्वीकृत या दोषपूर्ण सामग्री को तुरंत बदलने में विफल रहता है

घ) बोलीदाता दिवालिया हो जाता है या परिसमापन में चला जाता है।

ड़) बोलीदाता लेनदारों के लाभ के लिए एक सामान्य असाइनमेंट बनाता है।

च) बोलीदाता द्वारा खुद की सव्सटैंसिल संपत्ति के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया जाता है।

छ) बोलीदाता ने बीएल को गलतफहमी में रखा जिससे प्रभावित होकर बीएल ने बोलीदाता पर खरीद आदेश जारी किया हो ।

उक्त समाप्ति सूचना मिलने पर, बोलीकर्ता तुरंत आपूर्ति बंद कर देगा।

अनुबंध की समाप्ति पर, अनुबंध के तहत बीएल को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार या उपाय के पक्षपात के बिना, विलंबित वितरण / सेवा या गैर-वितरण के कारण किसी भी नुकसान से पीड़ित होने की स्थिति में, बीएल दावा करने और क्षति को पुन: प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । इसके बाद बोली लगाने वाले से ठेकेदार / विक्रेता की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी ।

**25. उप संविदा**

सफल बोलीदाता ठेके को पूर्ण रूप से या आशिक रूप से उप ठेकेदारी नहीं देंगे ।

**26. अप्रत्याशित घटना**

इसके किसी पक्ष द्वारा किसी प्रकार का विलम्ब अथवा असफलता को चूक नहीं माना जाएगा अथवा क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, हेतु दावा नहीं किया जाएगा जबकि ऐसी असफलता दैविक कृत, अथवा शत्रु द्वारा, सरकार अथवा किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी डिक्री, युद्ध की स्थिति, विद्रोह, विध्वंस, आग लगना, बाढ़, विस्फोट, महामारी, महाविनाश, दंगे अथवा हड़ताल के कारणों से हो । वेंडर उपर्युक्त परिस्थितियों का रिकॉर्ड रखेगा और खरीदार के संबंधित अधिकारी को ऐसी घटनाओं के बारे में 7 दिनों के भीतर लिखित रूप से सूचित करेगा। अनुबंध की अवधि के लिए इनमें से किसी भी समय पर हानि हुई राशि की गणना नहीं की जाएगी। वेंडर को सामग्री वितरित करने के लिए अनुबंध अवधि बीएल द्वारा विस्तारित की जाएगी। जैसे ही अप्रत्याशित घटना का कारण हटा दिया जाता है, वेंडर इस तरह के समाप्ति की सूचना बीएल को देंगे ।

**27. माध्यस्थम / क्षेत्राधिकार**

**27.1 विवाद समाधान,**

इस करार अथवा इसकी विषय वस्तु के बारे में अथवा इसके संबंध में उत्पन्न कोई भी विवाद अथवा दावा (गैर संविदा विवाद अथवा दावों सहित) भारतीय कानूनों के अंतर्गत निर्धारित होगा ।

इस करार की विवेचना सहित अथवा इस करार से अथवा इसके संबंध में उत्पन्न अथवा इसके अधीन अधिकारों, कर्तव्यों अथवा देनदारियों से संबंधित दोनों पक्षों के सभी विवाद, अन्तर व किसी भी प्रकार के पश्न पंचाट को संदर्भित किए जाऐंगे । माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 (यथासंसोधित) और इसके अन्तर्गत समय समय पर जैसा लागू हो के तहत माध्यस्थम की प्रक्रियाएं शासित होंगी । माध्यस्थम की कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाएंगी । माध्यस्थता का स्थान कोलकाता होगा । माध्यस्थम से संबंधित शुल्क समान रूप से विभाजित किया जाएगा । मात्र एक माध्यस्थम माध्यस्थमों के पैनल से नियुक्त किया जाएगा जो बामर लॉरी एंड कंपनी (करार के लिए अन्य पार्टी) द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । और वह ठेका दिए जाने का कारण बताएंगे ।

27.2 **शासित कानून और अधिकार क्षेत्र:**

इस करार की निर्माण वैधता और निष्पादन भारत गणराज्य के कानूनों द्वारा सभी प्रकार से शासित होगी। किसी भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाहियों के संबंध में इस समझौते या उसके किसी भाग या उसके बाद किसी भी कार्रवाई ("कार्यवाही") को लागू करने के लिए, प्रत्येक पक्ष, उपरोक्त खंड के अधीन, मात्र कोलकाता में न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार हेतु अपरिवर्तनीय (अखंड) रूप से पक्षों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है एवं ऐसे न्यायालयों में कार्यवाही के लिए स्थल के आधार पर या इस आधार पर कार्यवाही पर आपत्ति जताते हैं कि कार्यवाही को असुविधाजनक (अनुचित) मंच पर लाया गया है। भारत सरकार को ऐसे किसी भी विवाद के लिए पार्टी नहीं बनाया जाएगा ।

**28.0 बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया**

बोलीकर्ता जिस श्रेणी में वे बोली लगाने का विकल्प चुनते हैं उन्हें सभी आकारों के लिए कोट करना होगा, यदि ऐसा नहीं करते है तो, प्रस्ताव पर अंतिम मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा ।

बोलीदाता नीचे दी गई प्रक्रिया के माध्यम से ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म https://balmerlawrie.eproc.in पर निविदा जमा करने के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकते हैं ।

**29.0 नियम एवं शर्तें**

सामान्य निर्देश: - किसी भी स्थान को खाली या अधूरा न छोड़े, जहां भी लागू हो वहां NA / NIL / निःशुल्क लिखें। अपनी स्वीकृति के साथ बोलीकर्ता (हस्ताक्षर और मुहर सहित) द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ (निविदा दस्तावेज के साथ संलग्नक) को हस्ताक्षरित करना होगा । प्रस्ताव के मामले में, जो हमारे दिशानिर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, उन्हें रद्द किया जा सकता है । यदि निविदाकर्ता को किसी भी विसंगति, चूक, दुविधा या अस्पष्टता में या निविदा दस्तावेजों / नियमों और शर्तों / खंडों के बीच में पाया जाता है या यदि निविदाकर्ता अपने अर्थ और व्याख्याओं के रूप में संदेह में है, तो ऐसे मामले को बामर लॉरी के ध्यान में निविदा भरने / जमा करने की तिथि से कम से कम चार दिन पहले लाया जाएगा।

**30. ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म के साथ पंजीकरण**

पंजीकरण और ऑनलाइन बोली जमा करने के लिए बोलीदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा.लि. की हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं, या वे वेबसाइट https://balmerlawrie.eproc.in पर लॉग इन करके खुद को ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं ।

**31. डिजिटल प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण**

बोलीदाता अपने डिजिटल प्रमाणपत्र के साथ बोली को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पर सबमिट करने के लिए प्रमाणित करेगा और बोलीदाता के डिजिटल सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित नहीं की गई बोलियों को ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जिन बोलीदाताओं के पास डिजिटल प्रमाणपत्र नहीं है, वे डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करें । वे सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| हेल्प डेस्क के खुलने का समय प्रात: 10.30 से सायं 06.30 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) बामर लॉरी अवकाश को छोडकर | | | |
| हेल्प डेस्क पर कॉल करने के पहले अपनी समस्या को ईमेल करें । इससे हम आपको बेहतर सेवाएं दे पाएगें | | | |
| बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, 21 नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता- 700001 | | | |
| संबंधित ईमेल : blsupport@c1india.com | | | |
| हेल्प डेस्क के खुलने का समय प्रात: 10.30 से सायं 06.30 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) बामर लॉरी अवकाश को छोडकर | | | |
| **संपर्क व्यक्ति** | **ईमेल आईडी** | **फोन सं.** | **हेल्प डेस्क खुले रहेंगे** |
| 1.श्री तीर्थादास (कोलकाता) | tirtha.das@c1india.com | +91-9163254290 | **सोमवार से शुक्रवार** |
| **2. श्री सीएच. मणिशंकर (चेन्नई)** | chikkavarapu.manisankar@c1india.com | +91-6374241783 | **सोमवार से शनिवार** |
| **3.श्री ऋतु पाटील (मुंबई)** | ritu.patil@c1india.com | +91-124-4302000 (Ex-236) | **सोमवार से शुक्रवार** |
| **4.हेल्प डेस्क सहायता (कोलकाता)** | blsupport@c1india.com | +91-8017272644 | **शनिवार** |
| **इस्कलेशन लेवल 1** | | | |
| श्री तुहिन घोष | tuhin.ghosh@c1india.com | +91-8981165071 | |
| **इस्कलेशन लेवल 2** | | | |
| **श्री संदीप भंडारी** | sandeep.bhandari@c1india.com | +91-8826814007 | |
| **इस्कलेशन लेवल 3** | | | |
| **श्री अचल गर्ग** | achal.garg@c1india.com | | |
| **यदि आप हमारे तकनीकी एसोसिएट से संपर्क नहीं कर पा रहे है तो आप हमें अपना नाम मोबाईल सं. सहित blsupport@c1india.com पर ईमेल करें । हमारे एसेसिएट्स जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे ।** | | | |

पता: मैसर्स सी1 इंडिया प्रा.लि., सी104,सेक्टर-2, नोएडा, 201301

आप उनके प्रतिनिधि श्री ऋतब्रत चक्रवर्ती [ई-मेल आईडी: ritabrata.chakraborty@c1india.com, मोबाइल नं. 09748708094 से संपर्क कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप श्री उदयलाल मित्रा [07702669806], या श्री राजेश कुमार - 09650465143 से संपर्क कर सकते हैं। ] ।

**32.0 बोली प्रस्तुत करने की पावती**

उपयोगकर्ता को बोली प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाओं और चरणों को पूरा करना चाहिए। एक बार सभी प्रक्रियाओं और चरणों को पूरा करने के बाद बोली जमा करने की संख्या के माध्यम से सिस्टम द्वारा पावती दिए जाने पर सफल बोली प्रस्तुत करने का पता लगाया जा सकता है। बीएल और सी 1 इंडिया प्रा। लिमिटेड उपयोगकर्ताओं द्वारा अपूर्ण बोली प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उपयोगकर्ता यह भी नोट कर सकते हैं कि अधूरी बोलियाँ सिस्टम द्वारा सहेजी नहीं जाएंगी और प्रसंस्करण के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकरण के लिए उपलब्ध नहीं हैं ।

33.0 सभी बोलीदाताओं को एक सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित की हार्ड कॉपी जमा करना आवश्यक है।

क) निविदा दस्तावेज पर विधिवत मुहर और हस्ताक्षर किया हो । सभी अनुलग्नक सहित निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निविदा की शर्तों और शर्तों की स्वीकृति के टोकन के रूप में हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

बी) तुलना पत्र और लाभ और हानि खातों की प्रतियां, पिछले 3 वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19 और 2019-20) के लिए विधिवत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित।ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अनुपस्थिति में, पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों के लिए टर्नओवर को एक चार्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

ग) पात्रता मानदंड में बताई गई प्रासंगिक खरीद आदेश प्रतियां पृष्ठ संख्या 1 में बताई गई हैं।

डी) एमएसई प्रूफ, टेंडर क्लॉज के अनुसार।

ई) विभिन्न खंडो जैसे बोली, सुरक्षा घोषणा, सिक्योरिटी डिक्लरेशन, मेक इन इंडिया क्लॉज, बार्डर शेयरिग देशों और इंटीग्रीटी पैक्ट के साथ बोलीकर्ताओं पर प्रतिबंध पर घोषणा के संबंध में स्वत: प्रमाणित प्रमाणपत्र के अन्तर्गत यथाअपेक्षित सभी घोषणाएं ।

मुहरबंद लिफाफा जिसमें उपर्युक्त सभी दस्तावेज जिस पर ऑयल और ग्रीस कार्टन संदर्भ सं.निविदा पूछताछ संख्या जीएलएस/ टीई20/050 दिनांक 12/01/2021 अंतिम तिथी 02/02/2021 [6.00 पी.एम.] की आपूर्ति हेतु अन प्राइज्ड प्री बीड क्वालिफिकेशन लिखा हो, को निम्नलिखित पते पर ऑफ लाइन माध्यम से प्रस्तुत करना होगा ।

शोभित श्रीवास्तव
प्रबंधक (क्रय)
बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
ग्रीस एंड लुब्रिकेंट प्रभाग
सायली रखोली रोड सायली सिलवासा 396230
फोन नं (0260) 3293118

विषेश टिप्पणी :ऑफ लाइन प्राइज बोली को जमा करने से इस निविदा में बोलीकर्ता की सहभागिता अयोग्य होगी

**34.0 निविदा के लिए शुद्धिपत्र**

निविदाकर्ता को ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म में समय-समय पर निविदा आमंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए परिशिष्ट / शुद्धिपत्र को देखकर बोलीदाता को किसी भी परिवर्तन का ध्यान रखना होगा। निविदाओं के लिए कॉल करने वाली कंपनी इससे होने वाले किसी भी दावे / समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

**35.0 जनरल**

बीएल किसी भी देरी या उक्त दस्तावेजों की प्राप्ति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज को गलत / मनगढ़ंत पाया जाता है, तो बोली लगाने वाले ब्लैक लिस्टिंग, ईएमडी को जब्त करने, कार्य को रद्द करने और आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है।

बीएल किसी भी निविदा को पूरी तरह से स्वीकार करने या आदेश को विभाजित करने या बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बीएल सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और भाग में किसी भी या अधिक निविदाओं को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। इस संदर्भ में बीएल का निर्णय अंतिम होगा और बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

**36.0 अस्वीकरण खंड:**

न तो कंपनी (बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड) और न ही सेवा प्रदाता (C1 India Pvt। Ltd.) इंटरनेट या अन्य कनेक्टिविटी समस्याओं या उसके कारणों के कारण बोली प्रस्तुत करने में किसी भी विफलता के लिए जिम्मेदार है।

कंपनी किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि बोली लगाने वाले / बोली लगाने वालों और कंपनी के बीच किसी भी तरह के हितों का टकराव होता है, तो किसी भी समय सभी को कंपनी द्वारा अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

**37.0 विलंब:**

डाक विलंब में देरी / निविदाओं / विलंबित निविदाओं और निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुरूप नहीं होने वालों पर विचार नहीं किया जाएगा।

**38.0 निविदा रद्द करने का खंड:**

बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएल) अपने स्वयं के विवेक पर किसी भी अप्रत्याशित / अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या किसी अन्य कारण से किसी भी समय [चाहे टेंडर जमा करने की तारीख से पहले] या बाद में निविदा प्रक्रिया को रद्द कर सकता है। बीएल उसी के लिए निविदा में प्रतिभागियों / बोलीकर्ताओं को कोई कारण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

**39.0 जीएसटी क्लॉज:**

विक्रेता को अनिवार्य रूप से जीएसटी कानून के सभी प्रावधानों का पालन करना चाहिए और जीएसटी कानून के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने की किसी भी चूक की स्थिति में, बामर लॉरी विक्रेता को गैर-भुगतान / भुगतान रोक / काली सूची में डालने के अधिकार का प्रयोग करेंगे।

**40.0 बोली की अस्वीकृति: -**

किसी भी राज्य में बोली लगाने वाले और बीएल के बीच हितों के टकराव का पता चलने पर किसी भी बोलीदाता की बोली खारिज की जा सकती है। बीएल पूरे या आंशिक रूप से किसी भी निविदा को स्वीकार करने का अधिकार रखता है और बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करता है। इस संबंध में बीएल का निर्णय अंतिम होगा।

**41.0 विविध**

संबंधित कंपनियों से प्राप्त प्रस्तावों (भारत में कंपनी अधिनियम 1946 के अनुसार संबंधित कंपनियों की परिभाषा लागू होगी) को एक प्रस्ताव माना जाएगा।

नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त प्रस्ताव को मूल्यांकन के लिए नहीं माना जाएगा और सीलबंद लिफाफा नहीं खोला जाएगा । बीएल, नियत तारीख और समय के भीतर प्रस्ताव नहीं पहुंचने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

निविदा दस्तावेजों के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी विसंगति / अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा और विचार किया जाएगा ।

**42.0 जीईएम की घोषणा:**

जीईएम में निविदत आइटम उपलब्ध नहीं है । बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड को जीईएम पर उक्त वस्तु (वस्तुएं) उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

कृते बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड

सागर सेन गुप्ता
प्रबंधक (लॉजिस्टिक एंव डिपो प्रबंधन)
संलग्नक: तकनीकी विनिर्देशों का अनुलग्नक-I अनुलग्नक-II अनुलग्नक-II